तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-04-25	पत्रावली पेश हुई। वादिनी अधिवक्ता उपस्थित वादिनी सज्जन द्वारा उपस्थित। वादिनी का साक्ष्य शपथ पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादिनी के बयान लेखबद्ध करवाये गए। दस्तावेज प्रदर्श-1 से 5 करवाये। पत्रावली वास्ते बहस 08-04-2025 को पेश हो।	Sajjan
08-04-25	पत्रावली पेश हुई वादिनी अधिवक्ता उपस्थित वाद पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15-04-2025 को पेश हो।	
15-04-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त वादिया का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~प्रकरण~~ ~~[illegible]~~ प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

वाद संख्या 70/2023

दायरा दिनांक 18.09.2023

पीठासीन अधिकारी

श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. सज्जन हाड़ा उर्फ मीनू हाड़ा पत्नी श्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 हाल निवास छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा, जिला कोटा राज0।

–वादिया

बनाम

1. मधूहाड़ा पत्नी श्री जोधराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0 हाल निवास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा, राज0।
2. स्वरूपकंवर पत्नी श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0 हाल निवास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा, राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88,89आर0टी0 एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1.श्री अब्दुल सत्तार	– अधिवक्ता वादिया
2.श्री घनश्याम सैनी	– अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2
3. सरकार पैरोकार	– प्रतिवादी सं. 3

दिनांकः– 15.04.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 160 के खसरा संख्या 572 रकबा 0.05हैक्टर, खसरा संख्या 867 रकबा 0.92हैक्टर, खसरा संख्या 872 रकबा 1.32हैक्टर, खसरा संख्या 904 रकबा 0.10हैक्टर, खसरा संख्या 905 रकबा 0.62हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.01हैक्टर वाके ग्राम डपटा पटवार क्षेत्र खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का हिस्सा 1/3 निहित है। वादिया का वास्तविक नाम सज्जन हाड़ा है परन्तु उपरोक्त वर्णित खाता संख्या के राजस्व रिकॉर्ड में सज्जन हाड़ा का नाम मीनू हाड़ा अंकित है जो गलत अंकित है वादिया के समस्त दस्तावेज सज्जन हाड़ा के नाम से है जिस कारण वादिया को के0सी0सी0 ऋण, सहकारी ऋण व अन्य कई कार्यो में परेशानी होती है जिससे वादिया को काफी असुविधा का सामना करना पडता है। वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में कृषिभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का मीनूहाड़ा के स्थान पर सज्जन हाड़ा दुरुस्त करवाने से राज्य सरकार के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। वादिया ने जब बैंक से के0सी0सी0 ऋण लेने के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

लिए आवेदन किया तब बैंक वालों ने अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम अलग होने व राजस्व रिकॉर्ड में अलग नाम होने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं किया तब वादिया के नाम में संशोधन कराने के लिए तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु नाम में संशोधन नहीं किया गया तभी से वाद कारण जारी है। वादिया को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अपने गलत नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही करावें। अन्त में वादिया ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम मीनूहाड़ा विलोपित किया जाकर सज्जन हाड़ा अंकित किया जावे एवं इसी अनुरूप इन्द्राज फरमाया जावे।

वादिया का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने वादिया के वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए इकबालिया जावाब पेश कर कथन किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम मीनू हाड़ा के स्थान पर सज्जन हाड़ा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की ओर से पटवारी मौका रिपोर्ट पेश की गई। पत्रावली वादिया के साक्ष्य करवाये गए। वादिया ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खतौनी संख्या 160 वाके ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076, प्रदर्श–4 प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत खरायता एवं स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड पेश किए। पत्रावली बहस में नियत की गई।

वाद पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वादिया के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि वादग्रसत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का मीनूहाड़ा अंकित है जबकि वादिया के समस्त दस्तावेज उनका नाम सज्जन हाड़ा अंकित है जिससे उन्हें के0सी0सी0 ऋण, सहकारी ऋण व अन्य कई कार्यों में परेशानी होती है जिससे वादिया को काफी असुविधा का सामना करना पडता है। अतः वादिया का वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित उनके नाम मीनूहाड़ा को विलोपित किया जाकर उसके स्थान सज्जन हाड़ा अंकित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने वादिया का वाद पत्र स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 लगायत 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया का प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 160 में इन्द्राज मीनूहाड़ा पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/3 दर्ज है एवं इसी अनुरूप उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रदर्श–4 सरपंच, ग्राम पंचायत खरायता के प्रमाण पत्र क्रमांक 01/2024 दिनांक 09.08.2024 में यह तस्दीक किया गया है कि गोपाल सिंह हाड़ा पुत्र केसर सिंह हाड़ा की पत्नी का नाम सज्जन हाड़ा उर्फ मीनू हाड़ा है यह दोनों एक ही व्यक्ति है। वादिया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड में वादिया का नाम सज्जन हाड़ा पत्नी गोपाल सिंह अंकित है। पत्रावली में संलग्न परिवार राशन कार्ड में भी गोपाल सिंह हाड़ा की पत्नी का नाम सज्जन हाड़ा अंकित है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर है कि पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट बिना वादिया के दस्तावेज जांच व बिना सहखातेदार की रिपोर्ट के मौके पर तैयार की गई है जो अस्पष्ट है। वादिया प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने वाद कथनों को साबित करने में सफल रही है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को मध्यनजर रखते हुए हम वादिया का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

अतः वादिया का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नया 160 के खसरा संख्या 572 रकबा 0.05हैक्टर, खसरा संख्या 867 रकबा 0.92हैक्टर, खसरा संख्या 872 रकबा 1.32हैक्टर, खसरा संख्या 904 रकबा 0.10हैक्टर, खसरा संख्या 905 रकबा 0.62हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.01हैक्टर वाके ग्राम डपटा पटवार क्षेत्र खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादिया का नाम मीनूहाड़ा पत्नी गोपालसिंह के स्थान पर सज्जन हाड़ा उर्फ मीनूहाड़ा पत्नी गोपाल सिंह किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेंगे। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के नाम का इन्द्राज सज्जन हाड़ा उर्फ मीनूहाड़ा पत्नी गोपाल सिंह नियमतः दुरूस्त करें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............ मुकाम............लाखेरी..........................
व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस)...............

सज्जन हाड़ा उर्फ मीनू हाड़ा पत्नी श्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 हाल निवास छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा, जिला कोटा राज0।

—वादिया

बनाम

1. मधूहाड़ा पत्नी श्री जोधराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0 हाल निवास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा, राज0।
2. स्वरूपकंवर पत्नी श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0 हाल निवास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला कोटा, राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट व 136 एल0आर0 एक्ट
सन् ....

मुकदमा नम्बर 70/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादिया अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू...प्रतिवादीगण...................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादिया का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नया 160 के खसरा संख्या 572 रकबा 0.05हैक्टर, खसरा संख्या 867 रकबा 0.92हैक्टर, खसरा संख्या 872 रकबा 1.32हैक्टर, खसरा संख्या 904 रकबा 0.10हैक्टर, खसरा संख्या 905 रकबा 0.62हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.01हैक्टर वाके ग्राम डपटा पटवार क्षेत्र खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादिया का नाम मीनूहाड़ा पत्नी गोपालसिंह के स्थान पर सज्जन हाड़ा उर्फ मीनूहाड़ा पत्नी गोपाल सिंह किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेंगे। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के नाम का इन्द्राज सज्जन हाड़ा उर्फ मीनूहाड़ा पत्नी गोपाल सिंह नियमतः दुरूस्त करें।

निज.....................................मुबलिग...बाबत...
.................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
..फीसदी, सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।